**भारत सरकार**

**संस्‍कृति मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या : 996**

**उत्‍तर देने की तारीख : 29 जुलाई, 2015**

**वरिष्ठ कलाकार पेंशन योजना के तौर-तरीके**

**996. श्री बसावाराज पाटिलः**

 क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वरिष्ठ कलाकार पेंशन योजना (संस्कृति, नृत्य, लोक कला आदि) के तौर-तरीके क्या हैं;

(ख) इससे कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं और पेंशन की रकम कितनी है; और

(ग) सरकार के समक्ष राज्य-वार कितने आवेदन लंबित हैं और उनका निपटारा कब तक किया जाएगा?

**उत्‍तर**

**(डॉ. महेश शर्मा)**

**संस्‍कृति एवं पर्यटन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा नागर विमानन राज्‍य मंत्री**

(क) संस्‍कृति मंत्रालय साहित्‍य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्‍य क्षेत्रों के दीन-हीन परिस्थितियों में रह रहे विशिष्‍ट व्‍यक्तियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन प्रदान करने के लिए ‘’कलाकार पेंशन स्‍कीम तथा कल्‍याण निधि’’ नामक स्‍कीम चला रहा है। इस स्‍कीम के अंतर्गत, उन कलाकारों को केन्‍द्रीय कोटा के अधीन 4000/- रूपये प्रति माह तथा केन्‍द्र-राज्‍य कोटा के अधीन 3500/- रूपये प्रति माह की वित्‍तीय सहायता प्रदान करने पर विचार किया जाता है जिनकी व्‍यक्तिगत आय (पति और पत्‍नी की आय स‍मेत) 4000/- रूपये प्रति माह से अधिक न हो और जिनकी आयु 58 वर्ष से कम न हो। इस स्‍कीम के अंतर्गत वित्‍तीय सहायता के लिए विचार किए जाने वाले ऐसे पात्र कलाकारों द्वारा कला, साहित्‍य आदि के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण योगदान दिया गया होना चाहिए।

(ख) इस स्‍कीम के अंतर्गत लाभ प्राप्‍त करने वाले व्‍यक्तियों की संख्‍या 3698 है। विगत तीन वर्षों में संवितरित निधियों की कुल राशि निम्‍नानुसार है :-

 (राशि करोड़ रू. में)

|  |  |
| --- | --- |
| **वर्ष**  | **प्रदत्‍त वित्‍तीय सहायता**  |
| 2012-13 | 15.22 |
| 2013-14 | 15.31 |
| 2014-15 | 17.64  |

(ग) संगत स्‍कीम विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार संबंधित विशेषज्ञ समिति की बैठकें नियमित समय अं‍तराल पर आयोजित की जाती हैं और ऐसी बैठकें शुरू होने से पहले प्राप्‍त सभी प्रस्‍तावों/आवेदनों/ अनुरोधों को विशेषज्ञ समितियों के समक्ष विचार हेतु प्रस्‍तुत किया जाता है। विशेषज्ञ समिति की अंतिम बैठक 8 से 9 जनवरी, 2015 तक आयोजित की गई थी। सरकार के पास लंबित आवेदनों की राज्‍य-वार संख्‍या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्‍न है।

**अनुलग्‍नक**

 **दिनांक 29.07.2015 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 996 के भाग (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक**

**लंबित कलाकार पेंशन आवेदनों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **राज्‍य** | **लंबित पेंशन मामलों की संख्‍या**  |
|  | कर्नाटक  | 810 |
|  | आंध्र प्रदेश  | 700 |
|  | तेलंगाना  | 153 |
|  | तमिलनाडु  | 249 |
|  | केरल | 419 |
|  | महाराष्‍ट्र  | 799 |
|  | राजस्‍थान  | 01 |
|  | पुदुच्‍चेरी  | 01 |
|  | ओडिशा  | 103 |
|  | असम  | 09 |
|  | मणिपुर | 01 |
|  | बिहार | 05 |
|  | दिल्‍ली  | 01 |
|  | उत्‍तर प्रदेश  | 90 |
|  | त्रिपुरा  | 10 |
|  | झारखंड  | 01 |
|  | छत्‍तीसगढ़  | 01 |
|  | उत्‍तराखंड  | 01 |
|  | मध्‍य प्रदेश  | 09 |
|  | **कुल**  | **3363** |